न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 116/2021 बउनवानी गिर्राज प्रसाद वर्मा पुत्र श्री प्रेमचन्द वर्मा, कोष कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर, सवाईमाधोपुर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/320

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अति0 जिला कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. चून्या वल्द सोल्या साबिक ख0न0 513 सम्वत् 2017 से 2020 का चौसाला जमाबन्दी की 2—2 प्रतियॉं,रकबा ग्राम माणोली रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तहसील मलारना डूँगर।
2. खातेदार शान्ति देवी पत्नि डा0 बिहारी लाल बैरवा वर्तमान ख0न0 413 ढाणी छारोदा का टापरा रकबा 0.09 है0 ग्राम आलनपुर की सम्वत् 2070—2073 ,2078 की जमाबन्दी एवं नामा0 नम्बर 2429 दिनांकित 13.10.2017 एवं न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश 11.2.2017 की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर व सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर/सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/563 दिनांक 17.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 26.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही सूचना जरिये पत्रांक एलआर/21/6052 दिनांक 22.12.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 31.1.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 26.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार दोनो सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जा चुकी है। सूचना प्राप्त हो जाने की पुष्टि स्वंय अपीलान्ट द्वारा भी की जा चुकी है। किन्तु उक्त सूचनाऐ अधिनियम की [illegible] उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर/मलारना डूँगर [illegible] किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र [illegible] व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम की तय समय सीमा में निस्तारण [illegible] अपील [illegible] का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम हो एवं [illegible]कमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:11 IST
Reason: SelfAttested